

भारत सरकार

Government of India

कार्यालय अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme,

केन्द्रीय सदन परिसर, खण्ड - बी, भुतल, सेक्टर - 10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023

Kendriya Sadan Parisar, Block B, Ground Floor, Sector 10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur - 302039

No. CGHS/ JPR/ RPH&DC/2019 (Admn.)/ 8423 - 24


Dated: 18-06-2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- निरन्तर एम्पलमेंट स्कीम के तहत सीजीएचएस, जयपुर के अधीन अजमेर, जोधपुर व कोटा शहर में स्थिति निजी अस्पतालों / डाईग्नोस्टिक सेंटरों को एम्पैनलमेंट के संबंध में।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी पत्र एफ नं. एस-11045/36/2012-सीजीएचएस (HEC) दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 व कार्यालय ज्ञापन एस-11045/36/2012-सीजीएचएस (HEC) दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के अनुसार अजमेर, जोधपुर व कोटा शहर में स्थित निजी अस्पतालों / डाईग्नोस्टिक सेंटरों / इमेजिंग सेंटर, केवल आई सेंटर और डेन्टल क्लिनिक जो कि NABH / NABL or QCI से अनुमोदित हैं, और ई-टेंडर 2014 में परिभाषित समान अधिसूचित दरों को स्वीकार करते हैं व OM No. S. 11045/36/2012-CGHS (HEC) दिनांक 1 अक्टूबर 2014 में जारी शर्तों को पूरा करते हैं से सीजीएचएस जयपुर के अधीन निरन्तर एम्पैनलमेंट हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।

निरन्तर एम्पनलमेंट स्कीम के लिए आवेदन पत्र सीजीएचएस की वेबसाइट cghsjaipur.nic.in से GUIDELINES FOR CONTINUOUS EMPANELMENT SCHEME FOR EMPANELMENT OF HCOs/ DCs डाउनलोड किए जा सकते हैं।


अपर निदेशक,
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,
जयपुर।

प्रति -

1. प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीजीएचएस सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र अजमेर, कोटा व जोधपुर को इस आशय के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें एवं इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करें।
2. प्रशासन अनुभाग को इस आशय के साथ कि सीजीएचएस जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।